

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चुरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प खारासोली



—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खासोली व भू.अ.नि. खारासोली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चुरु / नासब तहसीलदार चुरु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खासोली तहसील चुरु व जिला चुरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 165 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	खासोली	165	प्रताप इत्क पुत्र देवाराज हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी खासोली खातेदार हिस्सा 1/2 (खसरा सं. 391) बड़ोदा राज. क्षेत्रीय शाखा खारासोली	राम प्रताप इत्क पुत्र देवाराज हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी खातेदार हिस्सा 1/2 (खसरा सं. 391) बड़ोदा राज. क्षेत्रीय शाखा खारासोली



(06/10/21)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, चुरु

दिनांक :- 06.10.2021

क्रमांक :- 54/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, चुरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राम प्रताप पुत्र देवाराज जाति जाट निवासी खासोली को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

06/10/2021

(06/10/21)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,
चुरु